न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर,

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

प्र.सं. 106/2024
सीसीएमएस : 2024/293

1. जसलीनकौर पुत्री श्री स्व. गगनवीर सिहं जाति जटसिख निवासी बस्सी पथयाणा जिला फतेहगढ़ साहिब हाल मकान नं. 1056 स्ट्रीट नं.9–बी , ओल्ड बिशन नगर पटियाला (पंजाब) नाबालिग जरिये कृदरती बली सरपररत माता –रेखा रानी पत्नि स्व. गगनवीर सिहं जाति जटसिख निवासी बस्सी पथयाणा जिला फतेहगढ़ साहिब हाल मकान नं. 1056 स्ट्रीट नं.9–बी , ओल्ड बिशन नगर पटियाला (पंजाब)
2. रेखा रानी पत्नि स्व. गगनवीर सिहं जाति जटसिख निवासी बस्सी पथयाणा जिला फतेहगढ़ साहिब हाल मकान नं. 1056 स्ट्रीट नं.9–बी , ओल्ड बिशन नगर पटियाला (पंजाब)

–:प्रार्थीगण

बनाम

1. राजवीर सिहं पुत्र श्री स्व. सुरेन्द्रजीत सिहं जाति जटसिख निवासी बस्सी पथयाणा जिला फतेहगढ़ साहिब हाल मकान नं. 1056 स्ट्रीट नं.9–बी , ओल्ड बिशन नगर पटियाला (पंजाब)
2. अवतार कौर पत्नि श्री सुरेन्दजीत सिहं जाति जटसिख निवासी बस्सी पथयाणा जिला फतेहगढ़ साहिब हाल मकान नं. 1056 स्ट्रीट नं.9–बी , ओल्ड बिशन नगर पटियाला (पंजाब)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर।

–:अप्रार्थीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री सोहन वर्मा .प्रार्थीगण अधिवक्ता.
2. श्री हरपाल सिहं सूदन अप्रार्थीगण अधिवक्ता

–: निर्णय :– दिनांक :–02.12.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि चक 7एम के तहसील रायसिहंनगर की जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के खाता नं. 13/10 के मु.न. 38 प.न.143/288 के कि.न. 6 ता 9/3 के 0.962 है. नहरी मय खाला व मु.न. 30 प.न.140/287 के कि.न.1/1 ता 25 के 6.325है. नहरी मय खाला कुल 7.312 है. नहरी भूमि मय खाला खातेदारी में से प्रार्थीया स. 1 के दादा व प्रार्थीयां सं. 2 के ससुर स्व. सुरेन्द्रजीत सिहंके नाम से 579/3656 हिस्सा यानि 1.158 है.नहरी भूमि एवं प्रार्थीया सं. 1 की दादी व प्रार्थीया सं. 2 की सास अप्रार्थी सं. 2 अवतार कोर के नाम 69/7312 हिस्सा यानि 0.069है. नहरी भूमि इस प्रकार दोनों के नाम से कुल 1.227 है. नहरी भूमि दर्ज है। जो उनकी स्वअर्जित भूमि न होकर पूर्वजो से प्राप्त होने से पैतृक सम्पति की श्रैणी है। चूँकि मृतक सुरेन्द्रजीत सिहं व अप्रार्थीया अवतार कौर में दो पुत्र अप्रार्थी राजवीर सिंह व मिन प्रार्थीगण के मृतक पति/पिता गगनवीर सिहं को जन्म से ही उक्त पैतृक सम्पति में अपने माता–पिता के साथ ब.हि.ब. यानि प्रत्येक का 1/3 –1/3 भाग पर हक व अधिकार निहित होकर काब्जि काश्त सुरेन्द्रजीतसिहं की मृत्यु तक रहे. तदुपरांत सुरेन्द्र सिहं के [illegible] भाग की भूमि विरास्तन गगनवीर सिहं व अप्रार्थी सं. 1–2 पर आंध हुई [illegible] प्रकार प्रार्थीगण के मृतक पति/पिता गगनवीर सिहं को 1.227 है. का 1/3 भाग यानि [illegible] है भाग पैतृक वा 1/3भाग में से 1/3 भाग 0.136 है. भाग विरास्तन कुल 0.5[illegible] नहरी भूमि व पैतक व विरास्तन हक व अधिकार निहित हुये है। चूंकि प्रार्थीया सं. [illegible] सिहं पोती व गगनवीर सिहं की पुत्री है , इसलिये [illegible] पति में अपने मृतक पिता के 1/3 भाग की 0.545है. भूमि का 1/2 यानि .273 है. पैतृक वा शेष 1/2 भाग से प्रार्थीगण को ब.हि.ब.प्रत्येक को 1/2–1/2 भाग यानि 0.136 –0.136 है. विरास्तन हक

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.25 10:52:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

व अधिकार निहित होकरक काब्जि काश्त चले आ रहे है ओर तदनुसार अपने खातेदारी अधिकारों को घोषित करवा अभिलेखों में अमल–दरामद करवा पाने के कानूनी हकदार होने से वाद लाने के कानूनी अधिकारी है। इसके अलावा प्रार्थीगण के स्वयं के नहाम से इस खाता में 35/7312–35/7312 हिस्सा यानि 0.035 –0.035है.नहरी भूमि खातेदारी दर्ज है। जिसे सम्मिलित करते हुये प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में 0.516 है. भूमि चली आ रही है ओर शेष बचे रकबा में प्रतिवादीगण अवतार सिहं का 105/1656 व 1463/7312 हिस्सा, कश्मीर सिहं का 883/3656 हिस्सा, प्रार्थीया स. 1 का 35/7312 हिस्सा, धर्मजीतसिहं का 209/7312 व 1463/7312 हिस्सा, परमजीतकौर का 13/457 हिस्सा, परमजीतसिहं का 13/457 हिस्सा, प्रार्थीया सं. 2 का 35/7312 हिस्सा, राजवीर सिहं का 35/3656 हिस्सा सव सुरेन्द्रकौर का 209/3656हिस्सा खातेदारी है। जिसकी जमाबन्दी व रिकॉर्ड पुश्तैनी सम्पति सलंग्न प्रा.पत्र है। उक्त विवादित रकबा का पक्षकारान के मध्य संयुक्त रूप से काश्त करना संभव नहीं रहने एवं लगान कर आदि की अदायगी को लेकर वा अन्य छोटी –छोटी बातों को लेकर हमेशा झगड़े व विवाद का भय बने रहने एवं भूमि का समुचित सुधार व उत्पादन वृद्वि में रूकावट आने आदि समस्त हालात एवं परिस्थितियों का मध्यनजर रखते हुये पक्षकारान के मध्य विवादित भूमि उनके भाग की घोषणा अनुसार एकजोई काश्त , खाला , रास्ता भूमि की किस्म व कीमत इत्यादि तथ्यों का मध्यनजर रखते हुये बाहमी बंटवारा कुछ अरसा पूर्व नीचे वर्णित अनुसार कर काबिज हुये ओर तदनुसार विधिक विभाजन व खाता विभाजन की डिक्री बहक प्रार्थीगण विरूघ अप्रार्थीगण पारित करवा पाने के प्राथीगण कानून अधिकारी है। प्रार्थीया सं. 1 को उसके पैतृक हिस्सा .270है. प्लस 136 है. विरास्त प्लस .035 है. खातेदारी कुल 0.444है. व प्रार्थीया सं. 2 को उसके विरास्त हिस्सा 0.136है.प्लस 0.035 है. खातेदारी कुल 0.171 है. दोनो प्रार्थीगण की कुल 0.615है. नहरी अनुसार चक 7 एम के तहसील रायसिहंनगर के प.न. 140/287 मु. न. 30 के कि.न. 1 के 0.036है. पूर्वी पासा , 2/1 की 0.228 है., 2/2 के 0.025 है.खाला , 3/1 के 0.228है. नहरी , 3/2 की 0.025है.खाला , 9 की 0.073 है. उतरी पासा कुल 0. 615है.नहरी मय खाला खातेदारी कृषि भूमि का कब्जा काश्त में चली आ रही है। जिसे अपनी मानते हुये काफी खर्चा व शारीरिक श्रम लगाते हुये समतल कर विकसित किया है। उक्तानुसार विधिक विभाजन व खाता विभाजन करवा अभिलेखों में सहयोग देवे तो अप्रार्थी सं. 1–2 प्रथमतः टालमटोल पश्चात् अतंतः दिनांक 03.09.2024 को बमुकाम 7 एम के तहसील रायसिंहनगर में प्रार्थीगण की किसी बात को मानने से स्पष्ट रूप से इन्कार होकर अप्रार्थी सं. 1–2 ने धमकी दी कि वे मृतक पति/पिता सुरेन्द्रजीत सिहं के नाम से दर्ज भूमि कूटरचित दस्तावेज की रूह से शीध्र ही अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाते हुये प्रार्थीगण को उनके पैतृक/विरास्तन हिस्सा से वंचित कर सुरेन्द्रजीतसिहं के नाम से दर्ज रकबा को सम्मिलित करते हुये अपनी भूमि सहित विधिक बंटवारा व खाता विभाजन करवाने बिना किसी अन्य को रहन , बैय या अन्य तरीक से हस्तान्तरित करते हुये मनमाने तरीके से अच्छी वा किमती भूमि का कब्जा अन्य हाथों में प्रार्थीगण को बाहमी में प्राप्त रकबा से जबरन बलपूर्वक विधिविरूघ तरीके से बदेखल करते हुये सुपुर्द करेगे। बंटवारा करने से इन्कार दिया। अगर अप्रार्थीगण अपने इस इरादे में कामयाब हो गये तो उससे प्रार्थीगण के वाद का मकसद ही फोत हो जावेगा ओर प्रार्थीगण के विधिक अधिकारों का हनन होगा। गेरइंसाफी होगी, अन्याय होगा, अपूर्णिय क्षति होगी, मुकदबाजी बाजी बढ़ेगी , अपव्यय होगा। जिन सबसे होने वाले नुकसान को मुद्राओं में नहीं आका जा सकेगा। अतः प्राथ्रीगण का प्रार्थना–प़त्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई मूल वाद के निर्णय तक फरमाई जावे कि विवादित भूमि वाके चक 7 एम के तहसील रायसिंहनगर के संयुक्त खाता सं. 13/10 में प.न. 13/10 के मु.न. 38 प.न. 143/288 के कि.न. 6 ता 9/3 के 0.962 [illegible] प.न. 140/287 के कि.न.1/1 ता 25 के 6.325है.नहरी मय खाला [illegible] नहरी भूमि मृतक सुरेन्द्रजीतसिहं के नाम दर्ज 579/365[illegible] एवं अप्रार्थीया स. 2 अवतारकौर अपने नाम से स[illegible]312 हिस्सा [illegible] 0.069है.नहरी भूमि इस प्रकार मृतक सुरेन्द्रजीतसिहं व अप्रार्थी[illegible] कुल 1.227है. नहरी खातेदारी कृषि भूमि पर प्रार्थीग[illegible] की धोषणा तक व विधिक व खाता विभाजन से पूर्व विवादित रकबा या उसका कोई [illegible] किसी अन्य को स्वयं या अपने हितबद्व व्यक्ति के माध्यम से रहन, बैय या अन्य तरीके से अन्तरित करने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.25 10:52:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

एवं प्रार्थीगण के बाहमी बंटवारा अनुसार कब्जा काश्त में चले आ रहे रकबा चक 7 एम के के मु.न. 30 प.न. 140/287 के कि.न. 1/0.036है. पश्चिमी पासा, 2/1 के0.228है, 2/2के 0.025 है.खाला, 3/1के 0.228है.नहरी, 3/2 के 0.025है.खाला , 9/0.073है. उतरी पासा कुल 0.615 है0 नहरी मय खाला खातेदारी कृषि भूमि से जबरन-बलपूर्वक -विधिविरूधउ -दोषपूर्ण तरीके से बेदखल करने से एवं कब्जा अन्य हाथों में सुपुर्द करने से बाज व मननु रहे ओर मौका तथा रिकॉर्ड की स्थिति यथावत् रखे तथा ऐसा कोई कृत्य न करे जिससे मौका एवं रिकॉर्ड की स्थिति में परिवर्तन होता हो।

प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना -पत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बधित पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री हरपालसिंह सूदन अधिवक्ता हाजिर होकर जबाव प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थना-पत्र की मद सं. 2 स्वीकार नहीं । वादग्रस्त भूमि पैतृक की परिभाषा में नहीं आती है। वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी सं.2 को अपने पति से बतौर विधवा प्राप्त हुई है। जो पैतृक भूमि नहीं है। जबकि जब सुरेन्द्रजीतसिहं के पिता की मृत्यु हुई तब उनकी यह संपत्ति सहदायिकी संपत्ति नहीं थी। सुरेन्द्रजीत सिहं के पिता की सहदायिकी संपत्ति में हित रखते हुये मृत्यु होती तब यह उत्तरजीवी सदस्यों पर उत्तरजीविता के आध

र पर न्यागत होती । मृतक गगनवीर सिहं अपने दादा का सहदायिकी संपत्ति में हित रखने वाला सदस्य नहीं था, क्योंकि मृतक गगनवीर सिहं का जन्म अपने दादा की मृत्यु के बाद हुआ था। इस प्रकार इस संपत्ति का सही विरास्तन इंतकाल गगनवीर सिहं के नाम हुआ है ओर गगनवीर सिंह की मृत्यु के बाद प्रार्थीगण के साथ यह इन्तकाल अप्रार्थी सं. 2 (मृतक गगनवीर सिहं की माता) के नाम होना चाहिए था। प्रार्थी सं. 1 का जन्म भी अपने दादा की मृत्यु के बाद हुआ है। इस प्रकार प्रार्थी सं. 1 भी मृतक सुरेन्द्रजीत सिहं के जीवनकाल में उनके साथ संयुक्त हित रखने वाली सदस्य नहीं थी। प्रार्थना-पत्र की मद सं. 3-4-5-6-7 भी स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण के पास किसी का कब्जा नहीं है। प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला वं सुविधा का संतुलन किसी प्रकार का नहीं है ओर न ही प्रार्थीगण को कोई अपूर्णीय क्षति हो रही है। अतः जबाव प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कि प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जाए अप्रार्थीगण को विशेष हर्जाना 3000/-रूपये दिलाया जावे।

बहस पक्षकारान अधिवक्तागण की सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा विवादित भूमि संयुक्त खाते की भूमि है। जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने कब्जा अनुसार उक्त भूमि का बंटवारा कर बंटवारा अपनी अपनी भूमि पर काब्जि चले आ रहे है। अतः अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक बैय करने बाज व ममनु रहें । प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखलअन्दाजी न करे तथा तब तक रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु निवेदन किया है। वकील अप्रार्थीगण उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में विरोध प्रकट करते हुये कथन किया कि उक्त विवादित भूमि पैतृक सम्पति नहीं है। उक्त विवादित भूमि अप्रार्थी सं. 2 को अपने पति के मरने के बाद प्राप्त हुई है। जो पैतृक सम्पति नहीं है। ना ही उक्त विवादित भूमि प्रार्थीगण का कब्जा रहा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जावे। अपनी बहस के समर्थन में वकील अप्रार्थीगण ने न्यायिक सिद्वान्त एस.सी.आफॅ इण्डिया -2016 डीएनजे(एस.सी.)258 अनवान उतम बनाम सुभेग सिहं आदि पेश किया गया। जिसका सम्मान पूर्वक मनन किया गया । उक्त दृष्टान्त प्रस्तुत प्रकरण पर प्रभावित नहीं होता है।

बहस पक्षकारान के अधिवक्तगण का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया। विवादित भूमि संयुक्त खाते की है। संयुक्त में दर्ज खातेदारों को जबतक विधिपूर्वक बंटवारा नहीं हो जाता तब तक प्रत्येक खातेदार प्रत्येक इन्च की भूमि पर बराबर का हक होता है इस प्रकरण में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्सा की भूमि के अनुसार अपनी अपनी भूमि पर काबिज है। उक्त विवादित भूमि प्रार्थीगण पैतृक सम्पति बता रहे है। जबकि अप्रार्थीगण ने अपने जबाव प्रार्थना -पत्र में उक्त विवादित भूमि पैतृक सम्पति नहीं बताया है। जो अप्रार्थी सं. 2 को अपने मृतक पति से प्राप्त होना अंकित किया है। विवादित भूमि पैतृक सम्पति है या नहीं । इस बिन्दू का

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.25 10:52:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

SCAN AnyScanner

इस प्रार्थना–पत्र में निस्तारण नहीं किया जाना है। विवादित भूमि में से प्रार्थीगण ने चक 7 एस के के मु.न. 30 प.न. 140/287 के कि.न. 1/0.036है. पश्चिमी पासा, 2/1 के0.228है. 2/2के 0.025 है.खाला, 3/1के 0.228है.नहरी, 3/2 के 0.025है.खाला , 9/0.073है. उत्तरी पासा कुल 0.615 है0 नहरी भूमि पर कब्जा होना बताया है। इन दोनों बिन्दू का इस प्रार्थना–पत्र में निस्तारण किया जाना है। जो मूल वाद में दोनों पक्षों साक्ष्य लिये जाकर मौके के आधार पर तय किया जाना है। फिलहाल को स्थगन प्रार्थना–पत्र का निस्तारण किया जाना है। अप्रार्थीगण विवादित भूमि अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने का फायदा उठाते हुये किसी अन्य को बैचान करता है तो ऐसे में प्रार्थीगण को ना होने वाला नुकसान होगा। प्रार्थीगण के द्वारा वाद–पत्र लाने का मकसद भी फल हो जावेगा। ऐसे में अपूर्णिय क्षति भी अप्रार्थीगण को न होकर प्राथीगण को होगी। जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। अनाश्यक मुकदमा बाजी बढेगी। ऐसे में प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत हेागा। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध मूल वाद के निर्णय तक इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि विवादित भूमि प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि के पूर्व में दिनांक 06.09.2024 को जारी स्थगन आदेश को मूल वाद के निर्णय तक स्थाई किया जाता है कि विवादित भूमि चक 7 एस. के. के मु.न. 30 प.न. 140/287 के 7.162 है. प्रार्थीगण के नाम जमाबन्दी में अंकित भूमि विरास्तन से प्राप्त नहरी भूमि में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी करने तथा रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। पत्रावली निर्णित कर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

आदेश आज दिनांक 02.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुभाष चन्द्र)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमंडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.25 10:52:03 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner